IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT INDORE

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK RUSIA

ON THE 3rd OF APRIL, 2023

WRIT PETITION No. 7439 of 2023

BETWEEN:-

BAGDIRAM S/O RATANLAL, AGED ABOUT 65 YEARS, OCCUPATION: AGRICULTURALIST SHITLA MATA CHOWK, HANUMANTIYA KAG, BOLA, TEHSIL SARDARPUR, DISTRICT DHAR (MADHYA PRADESH)

.....PETITIONER

(BY SHRI AKASH RATHI-ADVOCATE)

AND

1. **CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION DIRECTOR LINK ROAD NO.3, BOARD COLONY, CHAR IMLI, BHOPAL (MADHYA PRADESH)**
2. **STATE OF (M.P.) THROUGH PRINCIPAL SECRETARY HOME DEPARTMENT VALLABH BHAWAN, BHOPAL (MADHYA PRADESH)**
3. **DIRECTOR GENERAL OF POLICE POLICE HEADQUARTER, BHOPAL (MADHYA PRADESH)**
4. **DIRECTOR GENERAL PRISON AND CORRECTIONAL SERVICES JAIL HEADQUARTER, BHOPAL (MADHYA PRADESH)**
5. **THE DISTRICT COLLECTOR DHAR, DIST.**

DHAR (MADHYA PRADESH)

6. SUPERINTENDENT OF POLICE DIST. DHAR (MADHYA PRADESH)

7. SUPERINTENDENT OF JAIL CENTRAL JAIL CENTRAL JAIL INDORE (MADHYA PRADESH)

8. STATION IN CHARGE POLICE STATION KOTWALI DHAR DIST. DHAR (MADHYA PRADESH)

9. RAJARAM DANGI OCCUPATION: SUPERINTENDENT OF JAIL DIST. JAIL DHAR (MADHYA PRADESH)

10. SHYAM LAL VERMA (SUSPENDED) OCCUPATION: THE THEN DEPUTY SUPERINTENDENT OF JAIL, DISTRICT DHAR, PRESENTLY ATTACHED AT CENTRAL JAIL, INDORE, DIST. INDORE (MADHYA PRADESH)

11. ABDUL RAZZAQ KHAN (SUSPENDED) OCCUPATION: THE THEN JAIL PRAHARI DISTRICT JAIL DHAR, PRESENTLY ATTACHED AT CENTRAL JAIL, INDORE, DIST. INDORE (MADHYA PRADESH)

12. MUKESH SOLANKI (SUSPENDED) OCCUPATION: THE THEN JAIL PRAHARI DHAR, PRESENTLY ATTACHED AT SUB JAIL, SARDARPUR, DIST. DHAR (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENTS

(BY SHRI KUSHAL GOYAL-ADVOCATE)

(BY SHRI BHUWAN DESHMUKH-LEARNED GOVERNMENT ADVOCATE [R-7].

This petition coming on for orders this day, the court passed

the following:

ORDER

This petition has been filed by the petitioner seeking registration of F.I.R. against respondent No. 9 to 12, compensation of Rs.1 crore and suspension & disciplinary action against the respondent No. 9. According to the petitioner, his son Bheru was convicted vide judgment dated 26.11.2019 in Special S.T. No.18/2020 and sentenced to undergo for 11 years. He was undergoing his jail sentence in District Jail, Dhar. On 27.02.2023, he was brutally beaten by respondent No. 9 to 12 and other jail prisoners. He suffered grevious injury, resulting into death. The Petitioner submitted photographs of dead body to show that he was brutally beaten in the jail. Hence, present petition has been filed seeking registration of F.I.R. against culprits disciplinary action.

Learned Government Advocate are appearing on behalf of the respondents submits that the petitioner is having remedy to get compensation from Human Rights Commission in order to claim compensation. It is further submitted by Government Advocate for the respondents that State has framed policy for payment of compensation on account of death of prisoner. Therefore, the petitioner is having efficacious remedy under which he can get compensation.

The State of Madhya Pradesh through Jail Department has taken a decision in its meeting dated 31.01.2023 and circulated vide letter dated 03.03.2023 which is reproduced below :-

मध्यप्रदेश शासन
जेल विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /2109/2021/तीन/जेल भोपाल, दिनांक मार्च, 2023

विषय : जेल में बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने विषयक नीति।

संदर्भ : राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 23.11.2019 की बैठक के कार्रवाई विवरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई–दिल्ली द्वारा री इन–ह्यूमन कंडीशन 1382 प्रिजंस (2017) 10 एस.सी.सी. –658 में दिए गए निर्देशों एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली की बैठक कार्रवाई विवरण दिनांक 09 फरवरी 2022 में दिये गए दिशा निर्देशों के पालन में जेल में निरूद्ध बंदियों की किसी कारणवशं मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसे अप्राकृतिक मृत्यु मानते हुए मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में जारी नीति निर्देश।

.....

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश की जेलों में निरूद्ध बंदियों की आकस्मिक (अप्राकृतिक) मृत्यु होने पर मृतक बंदियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:–

1. वर्तमान में मध्यप्रदेश में 11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 सब जेल एवं 06 खुली जेल कुल 130 जेलें संचालित हैं, जिनकी क्षमता 29575 बंदियों रखे जाने की है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 48000 से 50000 हजार बंदी निरूद्ध रहते हैं। जेलों में परिरूद्ध बंदियों में से आयु, बीमारी, अन्य नैसर्गिक कारणों एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप वर्ष में 150 से 160 बंदियों की मृत्यु हो जात है, आकस्मिक (अप्राकृतिक) घटना के परिणामस्वरूप होने वली बंदी मृत्यु के सभी प्रकरणों में उपरोक्त नीति लागू होगी।

2. उपरोक्त नीति के बावजूद भी यदि किसी प्रकरण में न्यायिक जांच रिपोर्ट अथवा राष्ट्रीय/ राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा कोई पृथक से अनुशंसा की जाती है तो उस पर भी शासन विचार करेगा।

3. मध्यप्रदेश की जेलों में परिरूद्ध बंदी की मृत्यु किसी भी कारणवंश अथवा जेल के भीतर नैसर्गिक कारणों से सामान्य परिस्थिति हुई मृत्यु की स्थिति में भी मृतक बंदी के वैध वारिसान को तत्काल सहायता राशि के रूप में रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) प्रदाय की जायेगी।

4. मध्यप्रदेश की जेलों में परिरूद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर निम्न परिस्थतियों में सूची में वर्णित उनके सम्मुख दर्शाए गये बिन्दुओं पर जेल अधीक्षक से बंदी की मृत्यु के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर समिति द्वारा निर्धारित की गई

कुल मुआवजा राशि में उपरोक्त प्रदान की गई सहायता राशि समायोजित की जावेगी।

5. निम्नलिखित प्रकरणों में बंदी की मृत्यु होने पर बंदी के वैध उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

क्रमांक	*मृत्यु का कारण*	*मुआवजा राशि रूपये*
i.	*बंदियों के बीच आपसी झगड़े के कारण मृत्यु हो जाने पर*	*5,00,000/– (पॉच लाख रूपये मात्र) तक*
ii.	*जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना/लापरवाही /उदासीनता बरते जाने के कारण मृत्यु*	*5,00,000/– (पॉच लाख रूपये मात्र) तक*
iii.	*चिकित्सा अधिकारियों/पैरामेडिकल स्ऑफ की लापरवाही के कारण उपचार के दौरान मृत्यु होने पर*	*5,00,000/– (पॉच लाख रूपये मात्र) तक*
iv.	*बंदी द्वारा यदि जेल प्रशासन की प्रताड़ना से व्यथित होकर आत्महत्या कारित की गई हो*	*5,00,000/– (पॉच लाख रूपये मात्र) तक*
v.	*बंदी द्वारा यदि स्वयं के अपराध बोध से ग्रसित होकर अथवा अन्य निजी कारणों से दुःखी होकर आत्महत्या कारित की गई हो*	*2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) तक*
vi.	*जेल में परिरूद्ध बंदी की अप्रत्याशित घ ाटना/दुघर्टना एवं प्राकृतिक आपदा या विपत्ति के कारण मृत्यु होने पर बंदी के परिजनों को मुआवजा राशि*	*5,00,000/– (पॉच लाख रूपये मात्र) तक*

6. निम्नलिखित अप्राकृतिक कारणों में से हुई मृत्यु के प्रकरणों में कोई मुआवजा राशि देय नहीं होगीः–

i. *जेल से फरार अथवा बाह्य कानूनी अभिरक्षा से भागने के दौरान मृत्यु होने पर एवं*

ii. *जेल से बंदी सामान्य/आपात पैरोल पर बाहर रहने के दौरान किसी भी प्रकार की घटना/ दुघटना से हुई मृत्यु पर क्षपितपूर्ति राशिः प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।*

7. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में महानिदेशक, जेल सक्षम प्राधिकारी होगें।

8. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण एवं भुगतान हेतु महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाए प्रकरण के संबंध में जेल अधीक्षक से बंदी की मृत्यु के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट, न्यायिक जॉच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतरि कारणों की रिपोर्ट ***(Final Cause of Death),*** *बंदी के जेल प्रवेश के समय की मेडिकल हिस्ट्री तथा चिकित्सा उपचार का विवरण (यदि कोई हो) प्राप्त कर परीक्षण उपरांत*

राशि स्वीकृति पश्चात् महानिदेशक जेल द्वारा आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

9. क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान संबंधित जेल के अधीक्षक (जहॉ बंदी निरूद्ध था) के द्वारा किया जावेगा।

10. क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वैध उत्तराधिकारी की पहचान उपलब्ध दस्तावेजों, पुलिस थाना एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की जायेगी।

11. स्वीकृति एवं बजट आंवटन से 01 माह के अंद जेल अधीक्षक द्वारा मृतक बंदी के वैध उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

विषय :– जेलों में परिरूद्ध बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर परिजनों को प्रदाय किये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किए जाने संबंधी बैठक दिनांक 31.01.2023 का कार्यवाही विवरण।

.....

राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा दिये निर्देशानुसार जेल में निरूद्ध बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को मुआवजा प्रदाय करने हेतु श्री फेज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, जेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2023 आयोजित की गई। बैठक में श्री अरविंद कुमार, महानिदेशक जेल, श्री ललित दाहिमा, अपर सचिव, जेल विभाग एवं श्री राघवेन्द्र भारद्वाज अपर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग उपस्थित रहे।

उक्त बैठक महानिदेशक जेल के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की जेलों में विग 04 वर्षों में लगभग 552 बंदियों मृत्यु हुई है, जिनमें से 30 बंदियों की अप्राकृतिक (आत्महत्या/दुघटना आदि) मृत्यु हुई है। राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा विगत 04 वर्षों में 48 बंदियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने की अनुशंसाओं के अनुक्रम में कुल 1,71,00000/– रूपये (एक करोड़, इकहत्तर लाख रूपये) का भुगतान किया गया है।

राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा बंदियों की सामान्य मृत्यु होने पर भी क्षतिपूर्ति राशि की अनुशंसाा की जाती है तो उन बंदियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय की जाती है।

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

- *अप्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु होने पर न्यूनतम 02 लाख रूपये अधिकतम 05*

लाख रूपये तक की राशि भुगतान क जायेगी।

- *क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण एवं भुगतान हेतु महानिदेशक जेल, सक्षम प्राधिकारी होंगे, जो बंदी की मृत्यु के संबंध में प्राथमिक जांच रिपोर्ट, न्यायिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री एवं उपचार आदि के आधार पर निर्णय लेंगे।*
- *प्रत्येक जेलों में इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेशर शुगर की जांच हेतु मशीन लगाई जावे।*
- *प्रत्येक जेल से मृतक बंदियों की माहवार जानकारी जिसमें मृत्यु के कारणों सहित पिछले 05 वर्षों की प्राप्त की जाये।*
- *जेल में परिरूद्ध बंदी की आकस्मिक/घटना एवं दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा या विपत्ति में होने वाली मृत्यु पर भी क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।*
- *जेल में परिरूद्ध बंदी की किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर राशि 25,000/— तत्काल सहायता राशि के रूप में मृतक बंदी के वैध वारिसान को प्रदाय की जायेगी।*
- *उक्त के सबंध में प्रारूप तैयार कर 03 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।*

Apart from that National Human Rights Commission vide proceeding dated 09.02.2022 has forwarded a policy framed by Haryana Government for payment of compensation on account of death of prisoner in the jail and requested various State Governments / Union Territories to follow the said policy. A copy of the proceeding dated 09.02.2022 are reproduced below :-

POLICY FOR PAYMENT OF CMPENSATION

ONACCOUNT OF DEATH OF PRISIONERS

Date : 09th February,2022

PROCEEDINGS

Haryana Government (Jail Department), vide Notification No. 36/89/2019-1JJ-II dated 29.06.2021 has

framed a policy for payment of conpensation on account of death of prisoners confined in the jails of Haryana. The content of the said notification is extracted below:-

"No.36/89/2019-1JJ-II-The Governor of Haryana is pleased to formulate this policy for payment of compensation on account of death of prisoners confined in the jails of Haryana.

2. Compensation will not be admissible in cases of natural deaths including due to illness.

3. Compensation will also not be admissible in the following cases of unnatural deaths:-

(i) If the death occurs during escape from jails or from lawful custody outside the jails.

(ii) If the death occurs due to any natural disaster/calamity.

4. Compensation will be paid to the next of kin or legal heirs of prisoners on account of unnatural deaths, in the following cases :-

	Dignitaries
i. Due to quarrel amount prisoners	*} Rs.7.5 lakhs*
ii. Due to torture/beating by prison staff	*}*
iii. Due to negligence in duty by prison Officers/officials	*} Rs.5 lakhs*
iv. Due to negligence by Medical officers/ Para medical	*}*
v. Due to suicide committed by prisoners	*}*

5. The Superintendent Jail concerned shall send detailed report along with copy of the magisterial

enquiry report, postmortem report, final cause of death, medical history at the time of admission in jail and details of medical treatment, if any, given to the prisoner prior to his custodial death, to the Director Genearl of Prisons, Haryana, for onward submission to the State Government for grant of appropriate compensation, as per the provision of Para-4 above.

6. This policy shall be applicable, as admissible, in respect of prisoners who suffer unnatural deaths in the jails of Haryana on or after the date of notification of this policy.

7. Secretary/Special Secretary, Home shall be authorized to sanction the above said compensation.

Rajeev Arora
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Jails Department"

The issue was deliberated upon by the Commission and considering thhe prevailing value of the money, the aforesaid notification appears to be appropriate compensation to be awarded in such cases by the State Government besides other similar liabilities which may be enforced in accordance with law. We request the various State Governments/UTs bring such a policy as framed by the State of Haryana vide Notification dated 29.06.2021 by quantifying compensation on account of death of prisoners confined in jails either by fixing same amount of compensation or any other amount of compensation to be

fixed by the States.

The Commission should also follow the same yardstick for the time being while recommending payment of compensation in such cases.

Copy of the proceedings may also be forwarded to Chairperson/Acting Chairpersons/Members of various State Human Right Commissions for information.

The Chief Secretaries of the State Governments/Union Territories shall confirm such policy to the Commission within <u>three months.</u>

In view of the above, the petition is disposed off with a liberty to the petitioner to approach Human Rights Commission to claim compensation and direction for disciplinary as well as panel action against the culprits.

Certified Copy as per rules.

(VIVEK RUSIA)
JUDGE

Vindesh

VINDESH RAIKWAR

Digitally signed by VINDESH RAIKWAR
DN: c=IN, o=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH INDORE, ou=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH INDORE, 2.5.4.20=2cac43fc7490310e3840bae97e2725901dea838523e57439ec62a5ee88dc430, postalCode=452001, st=Madhya Pradesh, serialNumber=E49DAA8D0FEF53054B7A97DEFB4C3BF6C0B15A7DB15DD30DED46D26B5C6FAC A8, cn=VINDESH RAIKWAR
Date: 2023.04.05 20:18:09 +05'30'